भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3464

08.08.2022 को उत्तर के लिए

अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण

3464. श्री बी.वाई राघवेन्द्र :

श्री तेजस्वी सूर्या :

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी :

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :

श्री प्रताप सिम्हा :

डॉ. उमेश जी. जाधव :

श्री एस. मुनिस्वामी :

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकांश ई-कचरे का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उत्पाद डिजाइन विकसित करने में निवेश किया है जो खतरनाक नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): सरकार द्वारा देश के ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण सेक्टर को औपचारिक रूप देने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में पुनर्चक्रण इकाइयों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा ई-अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु दिशा-निर्देश/ मानक संचालन पद्धतियां (एसओपी) जारी की गई हैं। सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) इकाइयों की निगरानी करते आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से पुनर्चक्रण उद्योग को मुख्य धारा में लाने तथा आधुनिक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में, ई-अपशिष्ट के विघटन और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों को मान्यता प्रदान करने और पंजीकृत करने, उनका कौशल विकास करने, निगरानी करने तथा उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों में कमी लाने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह अधिदेशित किया गया है कि ईईई और उनके घटकों का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके उत्पादों में सीसा, पारा और अन्य खतरनाक पदार्थ अधिकतम निर्धारित सांद्रता से अधिक नहीं हैं।

****